HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Contempt Petition No. 33/2024

Shivraj Singh S/o Shri Chhajhu Singh

----Petitioner

Versus

Shri Nathmal Didel The Managing Director

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Vinod Goyal
For Respondent(s) : Mr. Nitin Sinsinwar

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

24/02/2026

विद्वान् अधिवक्ता प्रत्यर्थी का कथन है कि प्रकरण में समकक्ष पीठ द्वारा S.B. Writ Contempt No. 1027/2018 में निर्णय दिनांक 10.12.2024 द्वारा अवमानना याचिका का निस्तारण करते हुए यह निर्देश दिए गए हैं कि सेवानिवृत्त कर्मी अपनी आपत्ति/क्लेम सेवानिवृत्ति के परिलाभों के संदर्भ में दो माह में प्रस्तुत करेंगे और तदुपरांत संबंधित चीफ मैनेजर, जहां से उक्त कर्मी सेवानिवृत्त हुआ है, एक सेवानिवृत्त अकाउंटेंट को हायर करके उक्त क्लेम का निस्तारण करेंगे। उनका यह कथन है कि याची के द्वारा अपने सेवानिवृत्ति लाभ के संदर्भ में कोई विशिष्ट क्लेम उनके सक्षम प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में याची को यह निर्दिष्ट किया जाए कि वह अपना विशिष्ट क्लेम उसको देय लाभों के संदर्भ में प्रस्तुत करे।

विद्वान् अधिवक्ता याची का तर्क है कि प्रकरण में आक्षेपित रिट याचिका Daulat Ram Vs. Chairman cum Managing Director & Ors. S.B. Civil Writ Petition No. 9687/2015 में पारित आदेश दिनांक 01.10.2015 के निर्देशानुरूप निस्तारित की गई थी और उक्त निर्देशों के अनुसार याची अपनी सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ जिसके अंतर्गत अधिश्रम भत्ता, रात्रिकालीन भत्ता, उपार्जित अवकाश सम्मिलित हैं, प्राप्त करने का अधिकारी है और यदि 6 माह में उक्त भुगतान नहीं किया जाता है, तो 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से वास्तविक भुगतान पर ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा। उनका कथन है कि उपरोक्त आदेश दिनांक 13.03.2023 को पारित किया गया है। याची की आयु लगभग 70 वर्ष की है और अभी तक उसे उसको देय अधिश्रम भत्ते,

रात्रिकालीन भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है। अतः इस संदर्भ में संबंधित विभाग को यह निर्देश दिए जाएं कि उपरोक्त अनुसार उक्त अधिश्रम भत्ते, रात्रिकालीन भत्ते का भुगतान याची को करें।

उपरोक्त संदर्भ में याची द्वारा न्यायालय के समक्ष अनुलग्नक 3 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट है कि याची द्वारा समय–समय पर उपरोक्त राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन संबंधित विभाग के समक्ष सतत् रूप से उपरोक्त आदेश पारित होने के उपरांत से प्रस्तुत किए जा रहे हैं, परंतु याची को अभी तक उपरोक्त देय लाभ प्रदान नहीं किए गए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में विद्वान् अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है कि याची को अधिश्रम राशि व अन्य भत्ते न्यायालय के आदेशानुरूप देय कर दिए गए हों। उनकी इस तथ्य तक स्वीकृति है कि याची को उसके पेंशनरी लाभ, जिसके अंतर्गत पेंशन, ग्रेच्युटी व उपार्जित अवकाश संबंधित हैं, वह याची को दिए जा चुके हैं।

जहां तक याची को देय अन्य भत्ते का प्रश्न है, इस संदर्भ में याची सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह अवधि वर्णित होगी कि वह किन–किन समयावधि के लिए अतिरिक्त भत्ता अर्थात् अधिश्रम भत्ता व रात्रि विश्राम भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। इस संदर्भ में संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी उक्त क्लेम पर 4 सप्ताह में विचार करने के उपरांत याची को यदि कोई राशि उसके द्वारा प्राप्त मदों में देय होगी, का भुगातन उसे करेंगे। आदेश दिनांक 13.03.2023 में न्यायालय द्वारा यह भी आदेश पारित किया गया है कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपरोक्त देय राशि उनकी वरिष्ठता अर्थात् उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर देय होगी। अतः इस संदर्भ में यदि याची उक्त वरिष्ठता के अंतर्गत आता है और उसे उपरोक्त अनुसार भत्ते देय नहीं किए गए हैं, तो उसे उक्त भत्ते प्रदान किए जाएं, अन्यथा सक्षम अधिकारी इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें। याची वरिष्ठता सूची में किस नंबर पर है, वह दस्तावेज विद्वान् अधिवक्ता अयाची न्यायालय में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में उपरोक्त संदर्भ में पालना हेतु समय दिया जाता है।

प्रकरण पांच सप्ताह उपरांत इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध हो।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 100